अति आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे–I/806 दिनांक 15 NOV 2016

परिपत्र

वित्त (राजस्व) विभाग की अधिसूचना संख्या F.1(1) FD/Rev./96 Part II दिनांक 28.04.2016 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की कैडर स्ट्रेन्थ की अनुसूचित एंव गैर अनुसूचित क्षेत्रवार सूचना जारी कर समस्त विभागों के प्रमुखों/विभागाध्यक्षों को जारी की गई थी। सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि आपके विभाग में अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के स्वीकृत पदों का मिलान इस निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कैडर स्ट्रेन्थ से करावें। सम्बन्धित विभाग में अधीनस्थ लेखा सेवा के स्वीकृत पदों के कैडर में भिन्नता पाई जाने पर पद सृजन/समाप्ति की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति इस निदेशालय को प्रेषित करावें जिससे कि तद्नुसार अधीनस्थ लेखा सेवा कैडर को अद्यतन (update) किया जा सके। भविष्य में किसी विभाग में अधीनस्थ लेखा सेवा के पदों के सृजन/समाप्ति होने की दशा में इस निदेशालय को सूचित किया जाए तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति उपलब्ध कराई जाए, ताकि अधीनस्थ लेखा सेवा कैडर में तद्नुसार समायोजन एवं अद्यतन हो सके एवं अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के समय सम्भावित परेशानी से बचा जा सके।

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे–I/806 दिनांक :– 15 NOV 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव राजस्थान सरकार।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी से अनुरोध है कि आपके विभाग में अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के स्वीकृत पदों का मिलान इस निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कैडर स्ट्रेन्थ से करावें। विभाग में अधीनस्थ लेखा सेवा के स्वीकृत पदों के कैडर में भिन्नता पाई जाने पर पद सृजन/समाप्ति की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति इस निदेशालय को प्रेषित करावें।
5. अतिरिक्त निजि सचिव निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) निदेशालय की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)